// कार्यालय संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन
खेल परिसर 74 बंगला, भोपाल (मध्यप्रदेश)
(Email-mpbamboomission@mp.gov.in, Phone: 0755-2555524, 20; 0755-2674341, Fax-0755-2555523)

क्रमांक/बांसमिशन/लेखा/2020/371 भोपाल, दिनांक : 18-05-2020

प्रति,

1- समस्त मुख्य वनसंरक्षक (क्षे.),
वनवृत्त म.प्र.

2- समस्त वनमंडलाधिकारी,
वनमंडल म.प्र.

विषयः— Capital Investment Subsidy Scheme under National Bamboo Mission – Back ended subsidy scheme के अंतर्गत ऋण/अनुदान स्वीकृति की संशोधित प्रक्रिया।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 867 दिनांक 05.08.2019 एवं पत्र क्र. 07 दिनांक 11.03.2020

पत्र क्रमांक 07 दिनांक 11.03.2020 द्वारा जारी की गयी प्रक्रिया में कार्यकारिणी समिति में लिये गये निर्णय एवं तदानुसार स्थापित प्रक्रिया के अलोक में कुछ संशोधन कर पुनः जारी किया जा रहा है। संशोधित प्रक्रिया निम्नानुसार है—

a. मियादी ऋण तथा अनुदान प्राप्त करने हेतु हितग्राही द्वारा बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों के साथ बैंक मे ही प्रस्तुत किया जावेगा। दस्तावेज परीक्षण के उपरांत ऋण देने के लिये बैंक के सहमत होने पर इस प्रोजेक्ट प्रस्ताव की एक प्रति मिशन मुख्यालय व एक प्रति संबंधित वनमंडलाधिकारी को आवेदक द्वारा दी जावेगी। वनमंडलाधिकारी प्रोजेक्ट स्थल का निरीक्षण करवाकर निरीक्षण प्रतिवेदन व अपनी अनुशंसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य बांस मिशन को भेजेंगे। राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा जारी गाईडलाईन्स व राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह द्वारा अनुमोदित दिशा–निर्देश (संलग्न) के प्रकाश में मिशन मुख्यालय इन प्रोजेक्ट्स का परीक्षण कर वनमंडलाधिकारी द्वारा भेजे गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन व अनुशंसा के साथ प्रोजेक्ट प्रस्ताव के परीक्षण व स्वीकृति के लिये गठित निम्नलिखित सदस्यों की समिति को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा –

1) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य बांस मिशन – अध्यक्ष
2) प्रबंध संचालक, म.प्र. लघुवनोपज संघ द्वारा नामित अधिकारी – सदस्य
3) प्रबंध संचालक, वन विकास निगम द्वारा नामित अधिकारी – सदस्य
4) बैंक का प्रतिनिधि – सदस्य

आवेदक उद्यमी बैंक की सहमति लेते समय ही बैंक के शाखा प्रबंधक को यह सूचित करेगा कि बैंक का प्रतिनिधि प्रोजेक्ट एप्रूवल समिति का सदस्य है। अतः बैंक प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका कोई प्रतिनिधि (शाखा से या भोपाल के जोनल कार्यालय से) इस बैठक में उपस्थित हो।

उपरोक्त समिति का अनुमोदन मिलने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य बांस मिशन द्वारा प्रोजेक्ट स्वीकृति के औपचारिक आदेश जारी किये जायेंगे। यह आदेश मिलने के बाद बैंक अपने स्तर से प्रोजेक्ट स्वीकृति के औपचारिक आदेश जारी करेगा।

b. राष्ट्रीय बांस मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा अग्रिम अनुदान प्राप्त करने के लिये Annexure – 1 के अनुसार संक्षिप्त Project Profile – cum-claim फार्म पूर्ण कर संबंधित जिला स्तरीय बेम्बू डेवलपमेंट एजेंसी/वनमंडलाधिकारी को भेजा जावेगा। जिला स्तरीय बांस डेवलपमेंट एजेंसी बैंक से Project Profile – cum-claim फार्म प्राप्त होने पर मिशन

मुख्यालय से अनुदान की मांग करेगा। यदि पूर्व से ही वनमंडल में प्रोजेक्ट अनुदान के लिये राशि उपलब्ध है तो मिशन मुख्यालय से राशि की मांग नही की जायेगी।

c. वनमंडलाधिकारी द्वारा मिशन मुख्यालय द्वारा आदेश के साथ भेजे गये निर्धारित प्रारूप में औपचारिक आदेश जारी किया जावेगा व हितग्राही के साथ एक समझौता पत्रक पर हस्ताक्षर किये जावेंगे। यदि वनमंडलाधिकारी के पास इस मद में राशि नही है तो मिशन द्वारा अनुदान की राशि का 50% अग्रिम प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने वाले हितग्राही के Subsidy Reserve Fund Account में रखने हेतु संबंधित बैंक को वनमंडलाधिकारी के माध्यम से जारी किया जावेगा। यदि वनमंडल में राशि है तो वनमंडलाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि का 50% अग्रिम प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने वाले हितग्राही के Subsidy Reserve Fund Account में रखने हेतु संबंधित बैंक को भेजा जावेगा।

d. प्रोजेक्ट पूर्ण होने की सूचना हितग्राही से प्राप्त होने पर बैंक, जिला एवं राज्य स्तरीय बेम्बू डवलपमेंट एजेंसी के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति द्वारा प्रोजेक्ट के तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्डों का परीक्षण किया जावेगा। इस समिति द्वारा व्यय के मूल वाउचर्स का परीक्षण किया जायेगा। यदि वास्तविक व्यय इस्टीमेट से कम हुआ है तो स्वीकृत राशि को वनमंडलाधिकारी द्वारा उस सीमा तक कम किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में कम किया गया अनुदान अंतिम अनुदान से कम कर यह राशि मिशन मुख्यालय को वापस कर दी जावेगी।

e. उपरोक्त समिति के परीक्षण उपरांत बैंक द्वारा Annexure - 2 में अंतिम अनुदान प्राप्त करने हेतु क्लेम फार्म जिला स्तरीय बेम्बू डेवलपमेंट एजेंसी को प्रस्तुत किया जावेगा। इस क्लेम फार्म के साथ उक्त समिति की परीक्षण रिपोर्ट तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जावेगा। जिला स्तरीय बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसी से अनुशंसा प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय बांस डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा अंतिम अनुदान राशि बैंक को वनमंडलाधिकारी के माध्यम से प्रदाय की जा सकेगी। यदि राशि पूर्व से ही वनमंडल में है तो मिशन मुख्यालय से राशि की मांग नही की जावेगी।

f. राष्ट्रीय बांस मिशन की गाईड लाईन्स संलग्न है जो इस प्रक्रिया का आधार है। समझौता पत्रक की प्रारूप प्रति भी जानकारी के लिये संलग्न है। आवश्यक होने पर वनमंडलाधिकारी द्वारा इस प्रारूप में संशोधन किये जा सकते है।

संलग्नः—

1. राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह द्वारा अनुमोदित दिशा—निर्देश
2. समझौता पत्रक का प्रारूप
3. राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा जारी गाइड लाइन्स (Capital Investment Subsidy Scheme under National Bamboo Mission)

18/05/20

(डॉ. अभय कुमार पाटील)
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र. राज्य बांस मिशन

म.प्र. राज्य बांस मिशन की राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह की द्वितीय बैठक दिनांक 08.07.2019 की उपस्थिति एवं

कार्यवाही विवरण

दिनांक 08.07.2019 को श्री एस.के. मण्डल, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अनुसंधान विस्तार एवं लो.वा.), मध्यप्रदेश शासन, वन की अध्यक्षता में राज्य लघुवनोपज संघ के सभा कक्ष में म.प्र. राज्य बांस मिशन की राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह (*State Level Technical Advisory Group – SLTAG*) की द्वितीय बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित रहे –

1. डॉ. जी. राजेश्वर राव, संचालक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर
2. डॉ. आर.के. गर्ग, संयुक्त परियोजना संचालक, म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल
3. श्री ओ.पी. तिवारी, अपर संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर
4. श्री सरदार बाहरे, बांस उत्पादक कृषक, हरदा
5. श्री बी.बी. सिंह, संचालक, म.प्र. राज्य बांस मिशन, भोपाल।

   विशेष आमंत्रित
6. श्री शरद कुमार मिश्रा, प्रशिक्षण फेकल्टी, सेडमेप
7. श्री सुधाकर पण्डाग्रे, प्रशिक्षण फेकल्टी, सेडमेप

बांस मिशन की राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह की द्वितीय बैठक का कार्यवाही विवरण–

➢ एजेण्डा बिंदु क्रमांक –1

विषयः–निजी क्षेत्र में बांस आधारित इकाईयों की स्थापना संबंधी भारत सरकार द्वारा जारी की गयी नयी गाईड लाईन के अनुसार तकनीकी दिशा–निर्देश तय करना

1) बैठक में निजी क्षेत्रों में बांस आधारित सूक्ष्म तथा लघु इकाईयों की स्थापना के लिये राष्ट्रीय बांस मिशन के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत बेक एण्डेड बैंक सब्सिडी के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने एवं इकाई के तकनीकी मापदण्डो को तय करने की चर्चा की गई। जिन इकाईयों के लिये चर्चा की गई वे निम्नलिखित है–

1. बांस के ट्रीटमेंट एवं सीजनिंग प्लान्ट की स्थापना
2. बांस के कार्बोनाईजेशन प्लांट की स्थापना
3. Establishment of Livelihood Business Incubator
4. वेल्यू एडिशन के लिये बांस की प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना
5. बांस की प्राथमिक प्रोसेसिंग यूनिट में अपशिष्ट प्रबंधन
6. हस्तशिल्प / कुटीर उद्योग की स्थापना
7. बांस की फर्नीचर बनाने की इकाई की स्थापना
8. बांस का वस्त्र / आभूषण बनाने की इकाई
9. अगरबत्ती काड़ी बनाने की इकाई
10. एक्टिवेटेड कार्बन प्रोडक्ट की इकाई
11. बांस मण्डी का विकास (बेम्बू मार्केट प्लेस) व ई–ट्रेण्डिग
12. ग्रामीण हाट की स्थापना

2) इन इकाईयों की स्थापना में एकजाई लागत राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा तय की गयी है परंतु इसके उप मद तय नहीं किये गये है। चर्चा के बाद यह मान्य किया गया कि किसी इकाई की स्थापना में उप मद निम्नानुसार हो सकते हैं–

01. इकाई स्थापना के लिये आवश्यक भवन, कार्यशाला, गोदाम, फैन्सिंग इत्यादि कार्य जिन्हें भवन अधोसंरचना में रखा जा सकता है।

02. इकाई स्थापना के लिये मशीनरी उपकरण, औजार, विद्युत व जल की उपलब्धता संबंधी व्यय जिन्हें मशीनरी अधोसंरचना में रखा जा सकता है।

03. मशीन स्थापना, ट्रायल, ट्रायल के समय कर्मचारी का प्रशिक्षण, उत्पादन में लगने वाला कच्चे माल का परिवहन व्यय व अन्य आवश्यक निश्चित व्यय जिसे यहॉ इरेक्शन एवं ट्रायल मद कहा जा सकता है।

उपरोक्त तीन उप मदों में यूनिट कॉस्ट को प्रतिशत में विभाजित करने का निर्णय लिया गया जो इकाईवार निम्नानुसार है–

- बांस के ट्रीटमेंट एवं सीजनिंग प्लान्ट की स्थापना

(यूनिट कास्ट –रू. 20 लाख)

क्रमांक	उप मद	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत	प्रोजेक्ट कास्ट (रू. लाख में)
1.	भवन अधोसंरचना	30%	6.00
2.	मशीनरी अधोसंरचना	50%	10.00
3.	इरेक्शन एवं ट्रायल	20%	4.00

- बांस के कार्बोनाईजेशन प्लांट की स्थापना

(यूनिट कास्ट –रू. 30 लाख)

क्रमांक	उप मद	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत	प्रोजेक्ट कास्ट (रू. लाख में)
1.	भवन अधोसंरचना	50%	15.00
2.	मशीनरी अधोसंरचना	35%	10.50
3.	इरेक्शन एवं ट्रायल	15%	4.50

- Establishment of Livelihood Business Incubator

(यूनिट कास्ट –रू. 100 लाख)

क्रमांक	उप मद	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत	प्रोजेक्ट कास्ट (रू. लाख में)
1.	भवन अधोसंरचना	60%	60.00
2.	मशीनरी अधोसंरचना	30%	30.00
3.	इरेक्शन एवं ट्रायल	10%	10.00

- वेल्यू एडिशन के लिये बांस की प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना

(यूनिट कास्ट –रू. 30 लाख)

क्रमांक	उप मद	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत	प्रोजेक्ट कास्ट (रू. लाख में)
1.	भवन अधोसंरचना	50%	15.00
2.	मशीनरी अधोसंरचना	45%	13.50
3.	इरेक्शन एवं ट्रायल	5%	1.50

- बांस की प्राथमिक प्रोसेसिंग यूनिट में अपशिष्ट प्रबंधन

(यूनिट कास्ट –रू. 25 लाख)

क्रमांक	उप मद	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत	प्रोजेक्ट कास्ट (रू. लाख में)
1.	भवन अधोसंरचना	30%	7.50
2.	मशीनरी अधोसंरचना	65%	16.25
3.	इरेक्शन एवं ट्रायल	5%	1.25

यह यूनिट मोबाईल भी हो सकती है।

- हस्तशिल्प/कुटीर उद्योग की स्थापना

(यूनिट कास्ट –रू. 15 लाख)

क्रमांक	उप मद	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत	प्रोजेक्ट कास्ट (रू. लाख में)
1.	भवन अधोसंरचना	30%	4.50
2.	मशीनरी अधोसंरचना	30%	4.50
3.	इरेक्शन एवं ट्रायल*	40% (20%+20%)	6.00

*इसमें डिजाईन प्रशिक्षण व कौशल उन्नयन शामिल है।

- बांस की फर्नीचर बनाने की इकाई की स्थापना

(यूनिट कास्ट –रू. 25 लाख)

क्रमांक	उप मद	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत	प्रोजेक्ट कास्ट (रू. लाख में)
1.	भवन अधोसंरचना	30%	7.50
2.	मशीनरी अधोसंरचना	60%	15.00
3.	इरेक्शन एवं ट्रायल*	10%	2.50

*इसमें डिजाईन प्रशिक्षण व कौशल उन्नयन शामिल है।

- बांस आभूषण बनाने की इकाई

(यूनिट कास्ट –रू. 15 लाख)

क्रमांक	उप मद	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत	प्रोजेक्ट कास्ट (रू. लाख में)
1.	भवन अधोसंरचना	40%	6.00
2.	मशीनरी अधोसंरचना	20%	3.00
3.	इरेक्शन एवं ट्रायल*	40% (20%+20%)	6.00

*इसमें डिजाईन प्रशिक्षण व कौशल उन्नयन शामिल है।

- अगरबत्ती काड़ी बनाने की इकाई

(यूनिट कास्ट –रू. 25 लाख)

क्रमांक	उप मद	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत	प्रोजेक्ट कास्ट (रू. लाख में)
1.	भवन अधोसंरचना	40%	10.00
2.	मशीनरी अधोसंरचना	40%	10.00
3.	इरेक्शन एवं ट्रायल	20%	5.00

- एक्टिवेटेड कार्बन प्रोडक्ट की इकाई

(यूनिट कास्ट –रू. 200 लाख)

क्रमांक	उप मद	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत	प्रोजेक्ट कास्ट (रू. लाख में)
1.	भवन अधोसंरचना	45%	90.00
2.	मशीनरी अधोसंरचना	40%	80.00
3.	इरेक्शन एवं ट्रायल	15%	30.00

- बांस मण्डी का विकास (बेम्बू मार्केट प्लेस) व ई–ट्रेण्डिग

(यूनिट कास्ट –रू. 100 लाख)

क्रमांक	उप मद	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत	प्रोजेक्ट कास्ट (रू. लाख में)
1.	भवन अधोसंरचना	80%	80.00
2.	मशीनरी अधोसंरचना	10%	10.00
3.	इरेक्शन एवं ट्रायल	10%	10.00

- ग्रामीण हाट की स्थापना

(यूनिट कास्ट –रू. 20 लाख)

क्रमांक	उप मद	प्रोजेक्ट कॉस्ट का प्रतिशत	प्रोजेक्ट कास्ट (रू. लाख में)
1.	भवन अधोसंरचना	80%	16.00
2.	मशीनरी अधोसंरचना	10%	2.00
3.	इरेक्शन एवं ट्रायल	10%	2.00

उपरोक्त प्रतिशत सूचक (Indicative)हैं व प्रोजेक्ट की आवश्यकता के अनुसार इसमें 10% तक (+, –)परिवर्तन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय बांस मिशन से जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था करने वाली बैंक के साथ प्रत्येक इकाई को टर्मलोन तथा वर्किंग केपिटल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये हैं। यह निर्णय लिया गया कि बैंको से यह निवेदन किया जाये कि कुल टर्मलोन की 20. प्रतिशत राशि कार्यशील पूंजी के रूप में बैंक सी.सी. लिमिट के रूप में पृथक से उपलब्ध करवायें।

3) बैंको के साथ चर्चा कर प्रोजेक्ट स्वीकृत, टाईम लाईन तथा अन्य आवश्यक निर्देश बाद में जारी किये जायेंगे।

18/01/19

(एस.के.मण्डल),
अध्यक्ष, राज्य स्तरीय तकनीकी
सलाहकार समूह एवं प्रधान मुख्य
वनसंरक्षक (अनु.विस्तार एवं लो.वा.)

(बी.बी. सिंह)
संयोजक, राज्य स्तरीय तकनीकी
सलाहकार समूह एवं संचालक,
राज्य बांस मिशन, म.प्र. भोपाल

प्रारूप

बांस विकास अभिकरण .... वनमंडल ....

समझौता पत्रक

1. संबंधित समझौता पत्रक वनमंडलाधिकारी, ... जिन्हें सदस्य सचिव, बांस विकास अभिकरण, ... के रूप में यहाँ उल्लेखित किया गया है तथा श्री .... पिता ...., पता .... तहसील व जिला ....के मध्य हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

2. इस समझौता पत्रक में प्रथम पक्ष सदस्य सचिव, बांस विकास अभिकरण, हरदा तथा द्वितीय पक्ष ....हैं। यह समझौता दिनांक................ से........... तक मान्य होगा (बैंक ऋण की चुकता होने की अवधि के अनुसार)

3. प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष द्वारा ....स्थापित करने के लिये जो आवेदन पत्र दिया गया है, वह आवेदन पत्र भी इस समझौता पत्रक का अभिन्न अंग कहलायेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा ....स्थापित की जायेगी उसमें राष्ट्रीय बांस मिशन के दिशा–निर्देशो के अंतर्गत निर्धारित अनुदान प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जायेगा।

4. द्वितीय पक्ष ....स्थापित करने के लिये निम्न शर्तो से सहमति होते हुए समझौता करने के लिये तैयार है–

   4.1. कच्चा माल का क्रय उसे स्थानीय कृषकों से बाजार भाव से करना होगा। उसे स्वयं सर्वे करना होगा कि जिस क्षेत्र में वह इकाई स्थापित कर रहा है वहाँ उसकी आवश्यकता पूर्ति हेतु कच्चा माल उपलब्ध है ? प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को कच्चा माल उपलब्ध करवाने की गारण्टी नहीं दे रहा।

   4.2. स्थापित इकाई से उत्पादित माल का बाजार द्वितीय पक्ष स्वयं तलाशना पड़ेगा। प्रथम पक्ष अपनी संचालित नीतियों व योजना के प्रावधान के अंतर्गत ही सहायक की भूमिका में रहेगा।

   4.3. इकाई स्थापना संबंधी आवश्यक अनुमतियाँ संबंधित विभागों से द्वितीय पक्ष को स्वयं लेना होगी। संस्थापित होने वाली इकाई की आवश्यकता अनुसार जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम/खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में, यदि आवश्यक होगा तो, अपने को पंजीकृत करना होगा।

   4.4. विद्युत स्थापना, जल उपलब्धता तथा पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सावधानियाँ द्वितीय पक्ष को स्वयं बरतनी होगी तथा तद्नुसार संबंधित विभागों के नियमो का पालन करना होगा।

   4.5. संस्थापित की जाने वाली इकाई के लिये आवश्यक नई मशीनों का क्रय द्वितीय पक्ष को स्वयं करना होगा। मशीनों की क्षमता, दक्षता तथा उसकी इकोनामिक वायबिलिटी का विश्लेषण मशीन इन्स्टॉल होने के बाद प्रथम पक्ष द्वारा बैंक के साथ किया जायेगा। प्रथम पक्ष द्वारा उपरोक्त बिंदुओ पर संतुष्ट हो जाने के बाद संबंधित इकाई को बैंक के माध्यम से राष्ट्रीय बांस मिशन की योजना के अनुरूप सब्सिडी की अंतिम किस्त प्रदाय की जायेगी। यह अनुदान बेक एण्डेड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत है। अतः इस अनुदान (सब्सिडी) का समायोजन बैंक द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन की गाईडलाईन के अनुसार किया जायेगा।

   4.6. एसेट पत्रक (जो इस समझौता पत्रक का भाग है) में अनुदान की राशि की गणना के लिए मशीनो के क्रय पर अनुमानित व्यय, वर्क शेड निर्माण व मशीनों के संचालन के लिए विद्युतीकरण एवं जलापूर्ति पर हुए व्यय को सम्मिलित किया गया है।

4.7. मिशन द्वारा तय मापदण्डो के आधार पर बनाये गये प्रोजेक्ट के विरूद्व अनुदान की राशि प्रदाय की जायेगी। इकाई स्थापना में तय मापदण्डों से अधिक व्यय होने की स्थिति में हितग्राही द्वितीय पक्ष द्वारा अधिक का व्यय स्वयं के संसाधनों से किया जायेगा तथा उसके विरूद्व अनुदान की अतिरिक्त राशि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय नहीं की जायेगी परंतु यदि अनुमानित व्यय से कम राशि का व्यय हुआ है तो अनुदान राशि समानुपातिक रूप से कम कर द्वितीय किश्त/अंतिम किश्त से कम कर ली जावेगी।

5. द्वितीय पक्ष द्वारा अपनी इकाई के संचालन प्रबंधन तथा लाभ–हानि के प्रति कुशलता दिखानी होगी। प्रथम पक्ष की भूमिका सिर्फ फेसेलिटेटर/प्रमोटर की है।

6. संस्थापित की जाने वाली इकाई संचालन में किसी प्रकार की जन हानि अथवा मजदूरों को लगने वाले चोटों के प्रति द्वितीय पक्ष ही जिम्मेदार रहेगा तथा ऐसी हानियॉ न हो इसके लिये समुचित उपाय करेगा। प्रथम पक्ष फेसेलिटेटर होने से इसके लिये जिम्मेदार नही रहेगा।

7. संस्थापित की जाने वाली इकाई संचालन में किये जा रहे व्यय तथा क्रेडिट पर ली गई वस्तुएँ अथवा मजदूरों के भुगतान इत्यादि की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। प्रथम पक्ष फेसेलिटेटर होने से इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा।

8. चालू इकाई के लिये आवश्यक लेबर एक्ट के प्रावधानों को लागू करना तथा इनके हितो के लिये जो भी विधिक प्रावधान है उसका परिपालन द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा। श्रम कानूनों के उल्लघंन की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। प्रथम पक्ष फेसेलिटेटर होने से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

9. समस्त अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् चालू इकाईयो की मशीनो की बिक्री प्रथम पक्ष की अनुमति के बगैर द्वितीय पक्ष किसी को नही कर सकेगा।

10. द्वितीय पक्ष इकाई संचालन के लिये जो भी मशीने स्थापित करेगा उसका भौतिक सत्यापन उस मशीनो की कार्य क्षमता गुणवत्ता का निरीक्षण प्रथम पक्ष द्वारा बैंक के साथ किया जायेगा परंतु यह निरीक्षण अंतिम किश्त विमुक्त करने के पहले एक बार ही किया जायेगा।

11. द्वितीय पक्ष द्वारा संस्थापित की गयी इकाई के संचालन में (किसी विपरीत परिस्थितियों में) इकाई बंद हो जाने से जिन–जिन मशीनों अथवा शेड निर्माण में अनुदान की राशि व्यय की गयी है उस पर अधिकार प्रथम पक्ष का होगा तथा उसका निर्वतन प्रथम पक्ष द्वारा ही किया जायेगा। द्वितीय पक्ष का सिर्फ उन्ही एसेट पर ही स्वामित्व का अधिकार होगा जहाँ पर उसके द्वारा स्वयं की धनराशि व्यय की गयी है। संस्थापित की जाने वाली इकाई के एसेट पत्रक निम्नानुसार दोनो पक्षो द्वारा तैयार किया जायेगा व संयुक्त हस्ताक्षर से संबंधित समझौता पत्रक के साथ संलग्न किया जायेगा जो इस पत्रक का एक अभिन्न अंग होगा।

एसेट पत्रक

क्र	विवरण	इकाई	मात्रा	लागत (रू.लाख में)
1.	भवन अधोसंरचना			
2.	मशीन अधोसंरचना 1. 2. 3. 4.			
3.	मशीनो का कुल मूल्य			
	कुल			

12. दोनो पक्षो के मध्य विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा जो दोनो पक्षो को मान्य होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य बांस मिशन द्वारा निर्णय लिये जाने के पूर्व दोनो पक्षो को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक होगा।

13. संबंधित समझौता ....स्थापना का निजी क्षेत्र में की जाने वाली स्थापना में दिये जाने वाले अनुदान तथा उसका जिस इकाई के लिये अनुदान दियाा जा रहा है, उसी इकाई के संचालन के प्रयोजन में उपयोग किया जायेगा। संबंधित अनुदान राष्ट्रीय बांस मिशन तथा राज्य बांस मिशन, मध्यप्रदेश द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप है। भविष्य में यदि राष्ट्रीय बांस मिशन अथवा राज्य बांस मिशन बांस उद्योग को निजी क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के लिए अपने दिशा–निर्देशो में संशोधन करती है तो तद्नुसार संबंधित समझौते मे दोनो पक्षों के हितो को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जा सकेगा।

प्रथम पक्ष

सदस्य सचिव, बांस विकास अभिकरण
एवं वनमंडलाधिकारी, ...

हस्ताक्षर

1. नाम................................
2. पद नाम.........................

गवाहः–

1.

2.

द्वितीय पक्ष

....

हस्ताक्षर

1. नाम................................
2. पद नाम.........................

गवाहः–

1.

2.

कार्यालय संचालक, राज्य बांस मिशन

खेल परिसर 74 बंगला, भोपाल (मध्यप्रदेश)

(Email-mpbamboomission@mp.gov.in, Phone: 0755-2555524, 20; 0755-2674341, Fax-0755-2555523)

//आदेश//

आदेश क्रमांक/बांसमिशन/ 2020/37 भोपाल, दिनांक : 1/10/2020

—00—

पत्र क्रमांक 895 दिनांक 16.09.2020 द्वारा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के माननीय सदस्यों को भेजा गया गश्ति प्रस्ताव बहुमत से पारित होने के बाद राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह की द्वितीय बैठक दिनांक 08.07.2019 में उप मद वार निर्धारित व्यय सीमा निष्प्रभावी हो गई है।

गश्ति प्रस्ताव द्वारा पारित संकल्प निम्नानुसार है –

"राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह प्रस्तुत गश्ति प्रस्ताव के अनुसार व्यय के 2 उपमद (भवन निर्माण एवं मशीन क्रय) मान्य करता है। कम व्यय में भवन निर्माण किए जाने पर शेष राशि या भवन निर्माण की आवश्यकता न होने पर पूरी राशि मशीनों के क्रय पर व्यय करने की अनुमति प्रदान करता है। भवन निर्माण पर व्यय की अधिकतम सीमा प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40 प्रतिशत होगी।

एजेण्डा प्रस्ताव के अनुसार राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह इरेक्शन व ट्रायल के उपमद को मशीन क्रय के उपमद में ही शामिल करने की भी अनुमति प्रदान करता है।

राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह इस प्रस्ताव को भी अनुमोदित करता है कि आवेदन प्राप्त होने की क्रमबद्धता जो पहले आवेदन दिया है उस पर विचार पहले किया जायेगा परंतु उपरोक्त प्राथमिकताओं में जिसके पास योग्यता अधिक होगी उसे पहले चुना जायेगा जैसे हितग्राही ने संबंधित कार्य का प्रशिक्षण प्रतिष्ठित संस्थान से प्राप्त किया है।"

इस आदेश के जारी होने के बाद प्राप्त होने वाली प्रोजेक्ट्स का परीक्षण गश्ति प्रस्ताव दिनांक 16.09.2020 द्वारा पारित उपरोक्त संकल्प के अनुसार किया जावेगा।

01/10/20

(डॉ. अभय कुमार पाटील)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र. राज्य बांस मिशन

कार्यालय संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन

खेल परिसर 74 बंगला, भोपाल (मध्यप्रदेश)

Email-mpbamboomission@mp.gov.in, Phone: 0755-2555524, 20; 0755-2674341, Fax-0755-2555523)

क्रमांक/बांसमिशन/लेखा/2020/1151 भोपाल, दिनांक : 11/11/2020

प्रति,

1- समस्त मुख्य वनसंरक्षक (क्षे.), वनवृत्त म.प्र.

2- समस्त वनमंडलाधिकारी, वनमंडल म.प्र.

विषयः—*Capital Investment Subsidy Scheme under National Bamboo Mission – Back ended subsidy scheme* के अंतर्गत ऋण/अनुदान स्वीकृति की संशोधित प्रक्रिया।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 867 दिनांक 05.08.2019, पत्र क्र. 07 दिनांक 11.03.2020 एवं पत्र क्र. 371 दिनांक 18.05.2020

——00——

पत्र क्रमांक 07 दिनांक 11.03.2020 द्वारा जारी की गयी प्रक्रिया में कार्यकारिणी समिति में लिये गये निर्णय एवं तदानुसार स्थापित प्रक्रिया के अलोक में कुछ संशोधन कर पत्र क्र. 371 दिनांक 18.05.2020 जारी किया गया था। व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण एवं ***Ease of doing business*** को ध्यान में रखते हुए इसी प्रक्रिया को निम्नानुसार अधिक स्पष्ट/सरल किया जा रहा है—

a. हितग्राही द्वारा प्रोजेक्ट तीन प्रतियों में बनायी जावेगी। प्रोजेक्ट की एक प्रति बैंक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ बैंक को, दूसरी प्रति निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ मिशन मुख्यालय को एवं तीसरी प्रति वनमंडलाधिकारी कार्यालय को दी जावेगी।

b. बैंक हितग्राही के दस्तावेजो के परीक्षण के उपरांत प्रोजेक्ट स्वीकृत करने/ऋण देने के लिये अपनी सहमति से मिशन मुख्यालय को अवगत् करावेगा। बैंक की सहमति प्राप्त होने पर वनमंडलाधिकारी प्रोजेक्ट स्थल का निरीक्षण करवाकर निरीक्षण प्रतिवेदन व अपनी अनुशंसा मिशन के पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर मिशन मुख्यालय भेजेगा। इस निरीक्षण का उद्देश्य यह जानना है कि हितग्राही के पास प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के लिये भूमि है या नहीं। यदि स्वयं की भूमि नही हो तो न्यूनतम 10 वर्ष की लीज़ पर पर्याप्त भूमि होना चाहिए। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य शासन ने आदेश क्रमांक 1652/1816/2018/10—2 दिनांक 03.08.2018 (संलग्न) द्वारा वन विकास अभिकरणों को जिला स्तरीय बेम्बू डवलपमेंट एजेंसी का कार्य अतिरिक्त रूप से करने के लिये अधिकृत किया है। अतः वनमंडलाधिकारियों द्वारा अपने अधीन कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों की समिति बनाकर प्रोजेक्ट स्थल के निरीक्षण का कार्य करवाया जा सकता है। **अन्य विभागों के अधिकारियों को इस समिति में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।**

निरंतर......

c. बैंक की सहमति, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं वनमंडलाधिकारी की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद प्रोजेक्ट एप्रूवल समिति की बैठक बुलाई जावेगी। इस समिति का एक सदस्य बैंक का प्रतिनिधि भी है। यह समिति राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा जारी गाईडलाईन्स के प्रकाश में प्रोजेक्ट परीक्षण एवं स्वीकृति का कार्य करेगी।

शेष निर्देश इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 371 दिनांक 18.05.2020 के अनुसार ही है। सिर्फ अतिरिक्त निर्देश यह है कि **प्रोजेक्ट पूर्ण होने की सूचना हितग्राही से प्राप्त होने पर बैंक, जिला एवं राज्य स्तरीय बेम्बू डेवलपमेंट एजेंसी के प्रतिनिधियों एवं महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र या उनके प्रतिनिधि की संयुक्त समिति** द्वारा प्रोजेक्ट के तकनीकी एवं वित्तीय मापदण्डों का परीक्षण किया जावेगा। संबंधित मुख्य वनसंरक्षक (क्षेत्रीय) को राज्य स्तरीय बेम्बू डवलपमेंट एजेन्सी (मिशन) का प्रतिनिधि नामांकित करने के लिये अधिकृत किया जाता है।

संलग्नः–

1- म.प्र. शासन, वन विभाग का आदेश क्रमांक 1652/1816/2018/10–2 दिनांक 03.08.2018
2- म.प्र. राज्य बांस मिशन का आदेश क्रमांक 37 दिनांक 01.10.2020
3- हितग्राही द्वारा मिशन मुख्यालय को प्रोजेक्ट भेजने के लिये पत्र का प्रारूप

11/11/20

(डॉ. अभय कुमार पाटील)
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र. राज्य बांस मिशन

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 03-08-2018

क्रमांक 652 / 1816 / 2018 / 10–2:: मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन की नियमावली की कण्डिका 23ए में यह प्रावधान है कि मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा अनुमोदित गतिविधियों का संचालन प्रत्येक वनमण्डल में वन विकास अभिकरण (FDA) द्वारा किया जायेगा। राज्य शासन एतद्द्वारा वन विकास अभिकरणों को जिला स्तरीय बेम्बू डेवलेपमेंट एजेन्सी का भी कार्य अतिरिक्त रूप से करने हेतु अधिकृत करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

3/8/18
(अतुल कुमार मिश्रा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 03-08-2018

पृ.क्रमांक 653 / 1816 / 2018 / 10–2

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
6. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), मध्यप्रदेश, ग्वालियर
7. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उत्पादन मध्यप्रदेश भोपाल।
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त वन प्रबंधन, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, मध्यप्रदेश भोपाल।
12. मिशन संचालक मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

3/8/18
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मिशन संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन
आ.क्र. 1029
दिनांक 10-08-

शाखा........
मु.का.अधि. ....

कार्यालय संचालक, राज्य बांस मिशन
खेल परिसर 74 बंगला, भोपाल (मध्यप्रदेश)
(Email-mpbamboomission@mp.gov.in, Phone: 0755-2555524, 20; 0755-2674341, Fax-0755-2555523)

//आदेश//

आदेश क्रमांक/बांसमिशन/ 2020/37 भोपाल, दिनांक : 1/10/2020

--00--

पत्र क्रमांक 895 दिनांक 16.09.2020 द्वारा राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के माननीय सदस्यों को भेजा गया गश्ति प्रस्ताव बहुमत से पारित होने के बाद राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह की द्वितीय बैठक दिनांक 08.07.2019 में उप मद वार निर्धारित व्यय सीमा निष्प्रभावी हो गई है।

गश्ति प्रस्ताव द्वारा पारित संकल्प निम्नानुसार है –

"राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह प्रस्तुत गश्ति प्रस्ताव के अनुसार व्यय के 2 उपमद (भवन निर्माण एवं मशीन क्रय) मान्य करता है। कम व्यय में भवन निर्माण किए जाने पर शेष राशि या भवन निर्माण की आवश्यकता न होने पर पूरी राशि मशीनों के क्रय पर व्यय करने की अनुमति प्रदान करता है। भवन निर्माण पर व्यय की अधिकतम सीमा प्रोजेक्ट कॉस्ट का 40 प्रतिशत होगी।

एजेण्डा प्रस्ताव के अनुसार राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह इरेक्शन व ट्रायल के उपमद को मशीन क्रय के उपमद में ही शामिल करने की भी अनुमति प्रदान करता है।

राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह इस प्रस्ताव को भी अनुमोदित करता है कि आवेदन प्राप्त होने की क्रमबद्धता जो पहले आवेदन दिया है उस पर विचार पहले किया जायेगा परंतु उपरोक्त प्राथमिकताओं में जिसके पास योग्यता अधिक होगी उसे पहले चुना जायेगा जैसे हितग्राही ने संबंधित कार्य का प्रशिक्षण प्रतिष्ठित संस्थान से प्राप्त किया है।"

इस आदेश के जारी होने के बाद प्राप्त होने वाली प्रोजेक्ट्स का परीक्षण गश्ति प्रस्ताव दिनांक 16.09.2020 द्वारा पारित उपरोक्त संकल्प के अनुसार किया जावेगा।

01/10/20

(डॉ. अभय कुमार पाटील)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र. राज्य बांस मिशन

पृ.क्रमांक / बांस मिशन / लेखा / 2020 / 955 भोपाल, दिनांक : 1/10/2020
प्रतिलिपि :

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी), भोपाल (म.प्र.)।
2. महानिदेश, म.प्र. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी परिषद, भोपाल (म.प्र.)।
3. संचालक, केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल (म.प्र.)।
4. संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (म.प्र.)।
5. संचालक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (म.प्र.)।
6. श्री. पी.के. शुक्ला, सेवा निवृत, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर (म.प्र.)।
7. श्री. सुभाष भाटिया, बांस प्रजातियों के विशेषज्ञ, जबलपुर (म.प्र.)।
8. श्री. सरदार भायरे, बांस उत्पादक कृषक, हरदा (म.प्र.)।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।

01/10/20
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र. राज्य बांस मिशन

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मिशन संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन, खेल परिसर,
74 बंगला, भोपाल (म.प्र.)

विषयः— राष्ट्रीय बांस मिशन की योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने के लिये अनुदान स्वीकृत करने हेतु आवेदन।

—00—

महोदय,

मैं राष्ट्रीय बांस मिशन की योजना के अंतर्गत ....(शहर का नाम) में .... (उद्योग का नाम) स्थापित करना चाहता हूँ।

मे. एम.एस.एम.ई फाउन्डेशन द्वारा तैयार की गई प्रोजेक्ट संलग्न है। योजना के अनुसार रू. .... लाख का अनुदान स्वीकृत करने का अनुरोध है।

मैने यह प्रोजेक्ट .... (बैंक का नाम) में स्वीकृति के लिये प्रस्तुत कर दी है। बैंक का विवरण निम्नानुसार है —

बैंक का नाम :— ....
शाखा :— ....
जिला :— ....
फोन नं. :— ....
ईमेल एड्रेस :— ....

कृपया मिशन से भी बैंक को पत्र लिख कर योजना व अनुदान उपलब्ध होने की जानकारी देने का कष्ट करें।

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)

पूर्ण पताः— ....
....
....

मो0 नं0:— ....

प्रतिलिपि :— वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल .... (म.प्र.) की ओर प्रोजेक्ट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)